छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक RULE/81/2026-GAD-3 नवा रायपुर, दिनांक **13-07-2026**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत),
छत्तीसगढ़।

विषयः- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं का वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित करने बाबत्।
संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.06.2026

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षकों, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों, निर्माण विभागों/अन्य विभागों के उपअभियंताओं एवं वन विभाग के वनक्षेत्रपालों को प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित किया गया है। शासकीय सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान में से किसी एक योजना का चयन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विकल्प प्रस्तुत करने हेतु जारी परिपत्र दिनांक09.06.2026 से एक माह का समय प्रदान किया गया था।

2/ तत्संबंध में प्रदेश के विभिन्न अधिकारी/कर्मचारी संघो से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर उक्त शासकीय सेवकों को विकल्प प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि में केवल एक बार के लिए, **दिनांक 31 जुलाई 2026 तक अवधि में वृद्धि** की जाती है।

3/ इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संदर्भित परिपत्र केवल शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षकों, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों, निर्माण विभागों/अन्य विभागों के उपअभियंताओं एवं वन विभाग के वनक्षेत्रपालों जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.04.2026 के पूर्व हुई है, **क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान** जो भी लाभप्रद हो, किसी एक योजना का चयन करने का विकल्प प्रदान किया गया है। शेष अन्य संवर्ग के शासकीय सेवकों पर लागू नही है।

शेष कंडिका में उल्लेखित शर्ते यथावत प्रभावशील रहेगी।

Digitally signed by
SHIV KUMAR SINGH
Date: 13-07-2026
11:18:57

(एस.के.सिंह)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक RULE/81/2026-GAD-3 नवा रायपुर, दिनांक 13-07-2026

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. राज्यपाल के सचिव, लोक भवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, नवा रायपुर
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
6. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
7. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
9. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/लोक आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़
10. नियंत्रक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, नवा रायपुर
11. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
12. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, नवा रायपुर
13. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर
14. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण, मंत्रालय, नवा रायपुर
15. संचालक, शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर साधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
17. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
Rajendra Prasad Tripathi
Date: 13-07-2026
11:26:03

(आर.पी.त्रिपाठी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग